फाइल सं.10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

****

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य रियायतों के पैकेज नामत: **'उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007'** का अनुमोदन किया है, जो 01.04.2007 से प्रभावी है जिसमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलखित की भी संकल्पना है:

(i) व्याप्ति :

दिनांक 24.12.1997 को घोषित उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति (एन ई आई पी) की परिधि में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य आते हैं । एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत सिक्किम को भी शामिल किया जाएगा । परिणामस्वरुप, सिक्किम राज्य के लिए का.ज्ञा. सं.14(2)/2002-एसपीएस, दिनांक 23.12.2002 द्वारा घोषित 'सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति एवं अन्य रियायतें' और उसके अंतर्गत स्कीमें अर्थात् अधिसूचना सं.14(2)/2002-एसपीएस, दिनांक 24.12.2002 द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय पूंजी निवेश आर्थिक सहायता स्कीम, 2002, केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम 2002 और केन्द्रीय व्यापक बीमा स्कीम, 2002 दिनांक 01.04.2007 से बंद हो जाएंगी ।

(ii) अवधि :

सभी नई इकाईयां तथा विद्यमान इकाईयां जिनमें व्यापक विस्तार होता है, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, और जो एनईआईआईपीपी, 2007 की अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करती हैं, वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी ।

(iii) अवस्थान की तटस्थता:

सभी नई तथा मौजूदा औद्योगिक इकाईयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर प्रोत्साहन उपलब्ध होगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में वे चाहे जहां स्थित हों । परिणामस्वरुप, एनईआईपी, 1997 में 'थ्रस्ट' और 'नान-थ्रस्ट' के बीच किया गया विभेद 01.04.2007 से समाप्त हो जाएगा ।

(iv) **पर्याप्त विस्तार :**

पर्याप्त विस्तार पर प्रोत्साहन क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के विस्तार के प्रयोजनार्थ सं.पत्र और मशीनरी में सावधि पूंजी निवेश के मूल्य में 25% से कम वृद्धि न होने वाली इकाईयों को दिया जाएगा, जबकि एनईआईपी, 1997 में यह वृद्धि 33 1/2% निर्धारित थी ।

(v) उत्पाद शुल्क से छूट :

पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए परिष्कृत उत्पादों पर 100% उत्पाद शुल्क की छूट जारी रहेगी, जैसाकि एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत अपलब्ध था । तथापि, उन मामलों में, जहां परिष्कृत उत्पादों (उन उत्पादों के अलावा जिन पर अन्यथा शुल्क से छूट है अथवा शून्य शुल्क दर के अध्यधीन हैं) के उत्पादन में जा रहे कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर भुगतान किया गया सीईएनवीएटी परिष्कृत उत्पादों पर भुगतेय उत्पाद शुल्कों से अधिक है, सीईएनवीएटी क्रेडिट के ऐसे अधिक प्रवाह को लौटाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।

(vi) **आयकर से छूट:**

एनईआईपीपी 2007 के अंतर्गज 100% आयकर छूट जारी रहेगी जैसाकि एनईआईपी, 1997 के तहत उपलब्ध था ।

(vii) **पूंजी निवेश पर आर्थिक सहायता:**

पूंजी निवेश पर आर्थिक सहायता संयंत्र में निवेश के 15% तक और मशीनरी के लिए 30% तक बढ़ा दी जाएगी और इस दर पर आर्थिक सहायता के स्वत: अनुमोदन हेतु सीमा प्रति इकाई 1.5 करोड़ रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत 30 लाख रुपये उपलब्ध था । ऐसी आर्थिक सहायता निजी क्षेत्र, संयक्त क्षेत्र, को-आपरेटिव क्षेत्र की इकाईयों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की सरकारों द्वारा स्थापित इकाईयों के लिए लागू होगी । 1.5 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसमें पूर्वोततर क्षेत्र विकास विभाग, व्यय विभाग के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित विषय का कार्य देख रहे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव तथा पूर्वोत्तर राज्य के जहां दावा करने वाली इकाई अवस्थित है, संबंधित मुख्य सचिव/सचिव भी इसके सदस्य होंगे ।

ऐसे प्रस्ताव जो 30 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता के पात्र हैं उन्हें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष उसके विचारार्थ और अनुमोदन हेतु रखा जाएगा ।

(viii) **ब्याज पर आर्थिक सहायता:**

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत कार्यशील पूंजी पर 3% की दर से ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी जैसाकि एनईआईपी, 1997 के तहत उपलब्ध थी ।

(ix) व्यापक बीमा:

नई औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ मौजूदा इकाईयां अपने पर्याप्त विस्तार पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी ।

(x) नकारात्मक सूची:

निम्नलिखित उद्योग एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे :-

केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थानी से संबंधित है ।

केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 तहत शामिल पान मसाला ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 तथा का.आ.698 (अ) दिनांक 17.06.2003 द्वारा यथानिर्दिष्ट 20 माइक्रॉन्स से कम के प्लास्टिक कैरी बैग्स ।

केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम ऑयल और गैस रिफाइनरीज़ द्वारा उत्पादित सामान ।

(xi) सेवा/अन्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत प्रोत्साहन निम्नलखित सेवा क्षेत्र के क्रिया कलापों/उद्योगों के लिए लागू होंगे :-

1. **सेवा क्षेत्र :-**

(i) होटल (दो सितारा की श्रेणी से नीचे नहीं) रोप वे सहित एडवेंचर तथा 'मौज-मस्ती (लेईज़र) स्पोर्ट्स';

(ii) न्यूनतम 25 बिस्तरों की क्षमता वाले नर्सिंग होमों के स्वरुप में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं तथा वृद्धावस्था सदन;

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान यथा होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग व फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग तथा पैरा-मेडिकल, नागरिक उड्डयन से संबद्ध प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

आयकर अधिकनियम की धारा 10 क और 10 कक के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत अनेक कर रियायतें पहले से ही आई टी सेक्टर को उपलब्ध हैं । तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों

अथवा आईटी से जुड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के विकास में बाधाओं का एक प्रमुख कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अनुपलब्धता है । तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईसी के अंतर्गत उठाए जाने वाले कर लाभ आई टी से जुड़े प्रशिक्षण केन्द्रों और आई टी हार्डवेयर इकाईयों पर विस्तारित किए जाएंगे ।

(II) <u>जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रोत्साहन:</u>

जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग एन ई आईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत उसी तरह से लाभों को पाने का पात्र होगा जैसा अन्य उद्योगों पर लागू है ।

(III) <u>विद्युत उत्पादक उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:</u>

विद्युत उत्पादक संयत्रों को आयकर अधिनियम की धारा 81क के उपबंधों द्वारा यथाशासित प्रोत्साहन मिलते रहेंगे । इसके अलावा, परम्परागत और गैर-परम्परागत स्रोतों दोनों पर आधारित 10 मे.वा. तक विद्युत उत्पादन करने वाले संयत्र भी एन ई आईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत यथा अनुप्रयोज्य पूंजी निवेश पर आर्थिक सहायता, ब्याज पर आर्थिक सहायता तथा व्यापक बीमे के लिए पात्र होंगे ।

(xii) एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना:

एन ई आईआईपीपी, 2007 के कार्यावयन के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से, सचिव औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें मंत्रालयों/राजस्व विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, बैंकिंग और बीमा विभाग के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधि सीएमडी, एनईडीएफआई तथा प्रमुख पणधारी व पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक संघ समाविष्ट होंगे । इसके अलावा, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक 'ओवरसाइट कमेटी' गठित की जाएगी जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रुप में शामिल होंगे ।

(xiii) मूल्य वर्धन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक अर्थों में औद्योगिक क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनईआईआईपीपी, 2007 के अतंर्गत लाभ उन वस्तुओं के लिए अनुमेय नहीं होंगे नहीं होंगे जो स्टोरेज, क्लीनिंग आपरेशन, पैकिंग, री-पैकिंग, लेबल लगाने अथवा पुन: लेबल लगाने, छंटाई खुदरा मूल्य बदलने आदि के दौरान परिरक्षण जैसे पेरीफेरल क्रियाकलापों के संबंध में किए जाते हैं ।

(xiv) परिवहन पर आर्थिक सहायता स्कीम

परिवहन पर आर्थिक सहायता स्कीम 31.3.2007 के पश्चात उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जारी रहेगी । तथापि, संभावित लीकेज और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय लागू करने के उद्देश्य से स्कीम का शीघ्र मूल्यांकन किया जाएगा ।

(xv) <u>नोडल एजेंसी</u>

उत्तर पूर्व औद्योगिक वित्त विकास निगम, (एनईडीएफआई), एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत आर्थिक सहायता के वितरण हेतु नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करना जारी रखेगा 1

2. का.ज्ञा.सं.ईए/1/2/96-आईपीडी दिनांक 24.12.1997 (एनईआईपी, 1997) द्वारा घोषित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें' 01.04.2007 से प्रचालित होना बंद हो जाएगी । ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिसने 31.3.2007 को अथवा उससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है उन्हें एनईआईपी के अंतर्गत लाभ/प्रोत्साहन मिलता रहेगा ।

3. सरकार के पास सार्वजनिक हित में नीति के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

4. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित अधि नियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करें और इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

(एन.एन.प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभाग तथा योजना आयोग ।
(ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्य सचिव ।
(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों के सचिव (उद्योग) ।
(iv) पूर्वोत्तर, औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईएफआई) गुवाहाटी ।

प्रतिलिपि निम्नलखित को भी प्रेषित :

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय
(ii) प्रधान मंत्री कार्यालय